**<u>लोक सभा</u>**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1444**

**01 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए**

**लौह अयस्क की कमी**

**1444. डॉ. उमेश जी. जाधवः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक की स्टील कंपनियों को अपने स्टील प्लांट को चलाने के लिए लौह अयस्क की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्टील कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**<u>उत्तर</u>**

**इस्पात मंत्री** **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): देश में लौह अयस्क का उत्पादन, घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा लौह अयस्क की वर्तमान माँग/खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लौह अयस्क के उत्पादन पर 35 एमटीपीए पर कैपिंग लगाने के कारण कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय कमी है।

गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क के उत्पादन निम्नानुसार है:

(मिलियन टन मे)

| 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 (पी) |
|---|---|---|
| 26.483 | 28.724 | 29.796 |

(पी): अनंतिम; स्रोत: आईबीएम

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार को कर्नाटक में निजी इस्पात कंपनियों की लौह अयस्क की आवश्यकता या खपत के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ): घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्न ग्रेड (58% लौहांश से कम) लौह अयस्क (लम्प और फाइंस), जिन पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है, को छोड़कर सभी प्रकार के लौह अयस्क पर 30% निर्यात शुल्क लगाया है।

****